

## झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010

### आवश्यक सूचना

राँची, दिनांक-27.10.2021

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सहमति से (संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत संस्कृत विषय का शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन संख्या-21/2016 (संशोधित) के माध्यम से प्रकाशित है। सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) द्वारा पारित तार्किक आदेश संख्या-194, दिनांक-29.01.2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के पत्रांक-261, दिनांक-08.02.2021 से वापस किये गये 16 अभ्यर्थियों की अनुशंसा तथा उक्त पत्र से प्राप्त निदेश के आलोक में संस्कृत विषय के स्नातक शिक्षक हेतु संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से संबंधित निम्नलिखित अभ्यर्थी से संस्कृत विषय में स्नातक (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 40 प्रतिशत एवं अन्य कोटि के लिए 45 प्रतिशत सहित) के साथ साथ स्नातकोत्तर अथवा आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण) का मूल प्रमाण पत्र वांछित है:-

#### **Roll No:-**

11117115296, 11118116163, 15111156651, 16128170416, 16137174117, 18111179708, 19117187071, 19137196172, 20111197349, 20117199518, 23115212965, 25115220661, 26113223013, 30116274888, 31114278933, 31116281250. **(Total-16).**

अतः आप दिनांक-17.11.2021 के मध्याह्न 12.00 बजे वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उक्त प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करें। वांछित प्रमाण पत्र विहित अवधि में समर्पित नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के निदेशानुसार/नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। प्रश्नगत् अभ्यर्थियों का परीक्षाफल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन अवमाननावाद संख्या-109/2021 में पारित अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक।  
कर्मचारी चयन आयोग, राँची।